तालिका प्राप्त नहीं हुई है। पुनः उपखण्ड अधिकारी को पत्र लिखा जाकर तालिका मंगाई जाने के लिए 28/10/18 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

28/9/18

हनुमानाराम पुत्र कालू निवासी प्रेमपुरा के पेश हुए

प्रस्तुत उप० प्रार्थी ने आपने प्रार्थना-पत्र को दोबारा से वाचन किया की ग्राम काकोड़े के ख०नं० 62, 63, 64 में बीजा बी० जोरू नाम दर्ज है इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिये इसका नामान्तरण हेतु प्रार्थी को सूचना प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र राजस्व अधिनियम धारा 136 RCR Act का अवलोकन किया प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में कैम्प कोर्ट प्रेमपुरा में ही पार्टी के आदेश दिये जाने मौका रिपोर्ट तहसीलदार कुचामन सिटी प्रार्थी एवं अन्य राजस्थान सरकार पार्टी प्रतिनिधि अभिभाषक तहसीलदार कुचामन एवं उप० मौका पार्टी एवं प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र व रासलान हस्तलेख ग्रा० रु० 80 एवं खतौनी का अवलोकन से प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में कैम्प मजरे आम सभा की जाने मौका रिपोर्ट तहसील प्रेमपुरा एवं भोखरान के हवाला से आदि का विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र काबिल स्वीकार होने से कैम्प कोर्ट प्रेमपुरा में ही अवधारित कर ग्राम काकोड़े के ख०नं० 62, 63, 64 में खातेदार बीजा पि० जोरू का गलत नाम दर्ज होने से हटाया जाकर तहसीलदार कुचामन नियमानुसार कार्यवाही करते फील नम्बर से नाम होकर दाखिल हो।

नियम आदेश मजरे आम कैम्प कोर्ट प्रेमपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Web Copy - Not Official